

شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش فرد احکام

جاंच आख्या

प्रशासनिक अधिकारी,

बोर्ड के आदेश दिनांक 20-01-2015 के अनुपालन में वक्फ हुसैनी सरॉए, 1-1546, रामपुर की वक्फ सम्पत्ति से संबंधित कार्यालय बोर्ड में अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। वक्फ की पत्रावली में संलग्न वक्फ सम्पत्ति का दस्ती रक्शा जिसमें वक्फ सम्पत्ति की कुल पैमाइश दर्ज है, प्राप्त हुआ तोकि जांच आख्या के साथ संलग्न है। मौके का निरीक्षण किया गया। बोर्ड द्वारा दिनांक 20-01-2015 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में जिलाधिकारी/अपर सर्वे आयुक्त, रामपुर द्वारा वक्फ सम्पत्ति पर बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है जिसका मल्बा वक्फ सम्पत्ति पर पडा हुआ है। इसके अतिरिक्त दस्ती नक्शा के अनुसार मौके पर अनेक अवैध रूप से किये गये निर्माण मौजूद है। प्रकरण में उचित होगा कि वक्फ सम्पत्ति के दस्ती नक्शे जोकि वक्फ अधिनियम की धारा-37 के अनुसार बोर्ड में दर्ज कुल वक्फ सम्पत्ति के अनुसार बनाया गया है, को पूर्ण रूप से अवैध कब्जा-मुक्त कराया जाना उचित होगा। इस संबंध में बोर्ड अपने स्तर से निर्णय लेना चाहें।

आख्या प्रेषित है।


(मुन्तज़िर मेहदी)
यू0डी0ए0
कर्मचारी बोर्ड

कार्यालय अपर जिलाधिकारी, रामपुर ।

पत्रांक: 2.98 /आ.लि.अ.प्रि.प.


दिनांक-अप्रैल 9, 2012

जिलाधिकारी,
रामपुर।

महोदय,

अध्यक्ष, शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड उ0प्र0, के पत्रांक सं0.कैम्प/रामपुर/01 दिनांक 01.04.2012 पर अंकित आदेश के अनुपालन में वक्फ नम्बर आई 1546 हुसैनी सराय शिया वक्फ सम्पत्ति पर बनाये जा रहे शॉपिंग काम्पलेक्स के सम्बन्ध में तीन सदस्य जॉच कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक-08.04.2012 को प्रस्तुत की गयी है। जॉच समिति ने जांच आख्या में यह पाया है कि सम्बन्धित मुतवल्ली द्वारा मुसाफिरखाने के नाम से भ्रमित करते हुए एक बड़े व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण भारी मुनाफा कमाने की नियत से किया गया है जोकि वक्फ की गयी सम्पत्ति के उद्देश्यों के विपरीत है। कृपया उक्त जॉच आख्या को अध्यक्ष, शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, उ0प्र0 को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उक्त जांच आख्या।


(सत्य प्रकाश पटेल)
अपर जिलाधिकारी,
रामपुर।

जॉच रिपोर्ट


अध्यक्ष, शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ, उ०प्र०, लखनऊ ने अपने संदर्भ संख्या कैम्प/रामपुर/०१ पत्रांक मेमो दिनांक ०१.०४.२०१२ के अंतर्गत दिये गये आदेश के अनुपालन में वक्फ संख्या १-१५४६ हुसैनी सराय शिया वक्फ संपत्ति पर बनाये जा रहे शापिंग काम्प्लैक्स की जॉच के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, के आदेश दिनांक ०१.०४.२०१२ के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की जॉच कमेटी गठित की गयी।


- १- उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, रामपुर।
- २- सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त, रामपुर।
- ३- सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर।

उक्त जॉच समिति द्वारा संयुक्त रूप से हुसैनी सराय स्थित सिविल लाइन निकट विकास भवन का स्थलीय निरीक्षण एवं अगिलेखों का परीक्षण किया गया तथा अध्यक्ष, शिया वक्फ बोर्ड द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र में दिये तथ्यों के क्रम में विन्दुवार जॉच आख्या निम्नवत् है:-

अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड, के अनुसार वक्फ हुसैनी सराय १-१५४६ की भूमि पर ६८ व ३० कुल ९८ दुकानें बनाये जाने की अनुमति मुतवल्ली के अनुरोध पर ०६ निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी थी।

- १- यह कि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार ही दुकानों का निर्माण किया जाएगा।
- २- यह कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आँकड़ों के अनुसार ही निर्माण कराया जाएगा।
- ३- यह कि निर्माण में किसी प्रकार की कमी होने के कारण निर्माण को अगर कोई क्षति पहुँचती है तो, उक्त क्षति से कोई अन्य नुकसान व कोई अप्रिय घटना घटित होती है या किसी का जानी व माली नुकसान व कोई व्यक्ति चोटिल होता है तो उसकी समस्त


A.W.C.


A.W.C.


A.B.
RDA

जिम्मेदारी प्रबन्ध कमेटी की होगी, जिसको अनुमति प्रदान की जा रही है ऐसी दशा में बोर्ड नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

4- यह कि निर्माण के बाद 68 व 30 दुकानों की किरायेदारी जिसके निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है, की किरायेदारी नियमानुसार सर्किल रेट से की जाएगी।

5- यह कि वक्फ की दुकानों की किरायेदारी गैर शरई व गैर कानूनी कार्य किया जाना प्रतिबन्ध है, जिसके लिए दुकान के किरायेदारी कदापि नहीं की जा सकेगी।


6- यह कि कुल 98 दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फ नामे के अनुसार मुसाफिर खाना (हुसैनी सराय) बनाये जाने हेतु दुकानों की छत पर मुसाफिर खाने का मानचित्र व आंकलन बोर्ड के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें। (एनेक्सर - 1)

शर्त संख्या 1 के विषय में जाँच के समय पाया गया कि 98 दुकानें वक्फ बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है परन्तु स्थल पर निरीक्षण के दौरान सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण की आख्या के अनुसार वक्फ बोर्ड की स्वीकृति के अतिरिक्त 13 दुकानों का निर्माण अधिक पाया गया है, कुल स्वीकृत 98 दुकानों में से 10 दुकानों का निर्माण कार्य अभी डी0पी0सी0 तल तक ही किया गया है। इस प्रकार वक्फ बोर्ड की प्रथम शर्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। (एनेक्सर - 2)

शर्त संख्या 2 के विषय में जाँच के समय पाया गया कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आँकड़ों (नक्शों) के अनुसार निर्माण नहीं कराया गया है, मौके पर स्थलीय निरीक्षण के समय कुछ दुकानें प्रस्तावित आँकड़ों (नक्शों) से भिन्न पायी गयी है। (एनेक्सर - 3)

शर्त संख्या 3 के विषय में कहना है कि निर्माण के समय किसी प्रकार की क्षति व अप्रिय घटना होना नहीं पाया गया।

शर्त संख्या 4 के विषय में कहना है कि किरायेदारी सर्किल रेट पर होना नहीं पाया गया। श्री वल्लीउल्ला खॉ पुत्र सईदउल्ला खॉ, निवासी ज्यारत हल्केवाली, रामपुर के हुसैनी सराय व्यवसायिक केन्द्र के पंजीकरण प्रपत्र रसीद दिनांक 27.01.2012 से स्पष्ट है कि दो


J. M. S.


A. W. C.


R. B. A.

दुकानों के आवंटन हेतु ₹0 1,55,000.00 पगड़ी के रूप में तथा दुकान का मासिक किराया ₹0 400 प्रतिमाह की दर 11 माह का प्रति दुकान का अनुबंध किया गया है (पंजीकरण प्रपत्र एनेक्सर 3 के रूप में संलग्न है)। जबकि उक्त स्थल का किरायेदारी सर्किल रेट ₹0 2156 है। इस प्रकार समस्त दुकानों का पंजीकरण उपरोक्तानुसार ही किया गया है, जो सर्किल रेट एवं वक्फ बोर्ड के निर्देशों के विपरीत है। सर्किल रेट दुकी - 400000 - 4

शर्त संख्या 5 के विषय में कहना है कि उक्त दुकानों में व्यवसाय प्रारम्भ होने पर ही दुकानों की किरायेदारी गैर शर्ई व गैर कानूनी कार्य करने के बारे में स्थिति स्पष्ट किया जाना सम्भव हो सकेगा।

✓ **शर्त संख्या 6** के विषय में कहना है कि दुकानों के निर्माण के पश्चात वक्फ नामा के अनुसार मुसाफिर खाना (हुसैनी सराय) का निर्माण कराएंगे, परन्तु स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात यह बात संज्ञान में आयी कि दुकानों के निर्माण के ऊपर मुसाफिर खाने के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। उक्त दुकानों के लेआउट के अनुसार भूमितल पर निर्मित दुकानों के ऊपर प्रथम दृष्टया मुसाफिर खाने के निर्माण हेतु इस प्रकार के प्लान की कोई अभिकल्पना नहीं की गयी है और स्वीकृत मानचित्र के लेआउट के अनुसार इतने बड़े व्यवसायिक निर्माण हेतु वाहन की पार्किंग, अग्निशमन के संबंध में व रेन वाटर हारवेस्टिंग का भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है, जैसा कि सहायक अभियन्ता, रामपुर विकास प्राधिकरण, रामपुर की आख्या दिनांक 06.04.2012 स्पष्ट है (एनेक्सर 4 के रूप में संलग्न है)।

श्री नवाब काज़िम अली खॉं, मुतवल्ली वक्फ द्वारा हुसैनी सराय को कार्यालय के पत्रांक 07 दिनांक 04.04.2012 के अंतर्गत बजरिये नोटिस अपना साक्ष्य व पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया किन्तु निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई जवाब प्राप्त न हो सका (नोटिस की छायाप्रतियों एनेक्सर 5 के रूप में संलग्न हैं)।

जॉच के समय यह भी पाया गया कि श्री नवाब काज़िम अली खॉं, मुतवल्ली ने हुसैनी सराय की वक्फ भूमि पर उक्त दुकानों का निर्माण प्राईवेट बिल्डर (माजिया कंसट्रक्शन कम्पनी) द्वारा कराया गया, जबकि शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वक्फ, लखनऊ द्वारा मात्र मुतवल्ली को दुकानात निर्माण कराये जाने की अनुमति दी गयी थी और मुतवल्ली को


S. M. S.


S. M. S.


A. E. R. D. A.

प्राइवेट बिल्डर से अनुबन्ध करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। शिया सेंट्रल बोर्ड आफ वक्फ की अनुमति के अनुसार मुतवल्ली द्वारा स्वयं निर्माण न कराकर माजिया कन्सट्रक्शन कम्पनी से निर्माण कराया जाना पाया, जो शिया वक्फ बोर्ड से प्राप्त अनुमति के विपरीत है। अनिलेखीय परीक्षण के उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत अनुबंध में हुसैनी सराय बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे स्वतः स्पष्ट है कि मुतवल्ली द्वारा शिया वक्फ बोर्ड को भ्रमित कर वक्फ बोर्ड की शर्तों का स्वार्थ पूर्ति व भारी मुनाफा कमाने की नियत से उल्लंघन किया गया है।

रामपुर स्टेट गजट दिनांक 28 अप्रैल 1942 जिल्द संख्या 55 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नवाब रजा अली खॉं द्वारा हजरत इमाम हुसैन के मसाइबे सफर की यादगार कायम करने के लिए एक मुसाफिर खाना हुसैनी सराय के नाम से कायम किया जाना था, जिसमें विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग जो रामपुर आएंगे उनको ठहरने का एक उचित स्थान प्राप्त हो सके, किन्तु नवाब रजा अली खॉं (वाकिफ) की मंशा एवं उद्देश्य के विपरीत संबंधित मुतवल्ली द्वारा उक्त भूमि पर भारी मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से शापिंग काम्प्लैक्स का निर्माण कराया गया है और शापिंग काम्प्लैक्स की दुकानों का आवंटन मोटी रकम बिल्डर द्वारा प्राप्त कर मुतवल्ली की साठ-गांठ से प्राइवेट बिल्डर ने धर्मार्थ वक्फ संपत्ति का अस्तित्व समाप्त किया है, जो वक्फ डीड एवं वक्फ अधिनियम के विरुद्ध है। (रामपुर गजट की छायाप्रतियों एनेक्सर 6 के रूप में संलग्न हैं)

नवाब काजिम अली खॉं, मुतवल्ली द्वारा दिनांक 06.02.2011 को श्री नासिर अली खॉं, (निदेशक, माजिया कन्सट्रक्शन कम्पनी) पुत्र श्री अनवर अली खॉं, साकिन मस्जिद कैथ, रामपुर के बीच बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के अनुबंध किया गया है कि हुसैनी सराय (रकबा 4000 वर्ग गज) पर श्री नासिर अली खॉं द्वारा एक शापिंग काम्प्लैक्स का निर्माण मय मैटेरियल के अपने खर्च से करेंगे और शापिंग काम्प्लैक्स तैयार होने पर दुकानों जो किराये पर उठाई जाएगी उसकी वसूली श्री नासिर खॉं, करेंगे और रकम स्वयं अपने पास रखेंगे। इस रकम का मुतवल्ली से कोई वास्ता नहीं होगा और यह वक्फ में जमा नहीं की जाएगी। इस अनुबंध में मुसाफिर खाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया और न ही वक्फ बोर्ड को दुकानों से प्राप्त आय का 7 प्रतिशत अंशदान अदा किये जाने का कोई उल्लेख अनुबंध में नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वक्फ संपत्ति से


S. D. M. U.


B. W. C.



A. E. R. D. A.

होने वाली आय को इन्होंने निजी संपत्ति माना जबकि यह पूर्णतया धर्मार्थ वक्फ संपत्ति है, जिसे किसी अनाधिकृत व्यक्ति (नासिर अली खॉं) को दिया जाना वक्फ की आय का दुरुपयोग एवं घोर वित्तीय अनियमितता है। प्राईवेट बिल्डर से नियमानुसार किसी प्रकार का कोई भी अनुबंध मुतवल्ली द्वारा किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अनुबंध भी वक्फ बोर्ड के आदेशों के विपरीत है। (एनेक्सर - ६)।


अतः उपरोक्त संयुक्त स्थलीय जाँच एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के गहन अध्ययन करने के पश्चात जाँच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मुतवल्ली द्वारा मुसाफिर खाने के नाम से भ्रमित करते हुए एक बड़े व्यवसायिक काम्प्लैक्स का निर्माण कर वक्फ संपत्ति के अस्तित्व को समाप्त करने एवं अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति तथा भारी मुनाफा कमाने हेतु किया गया है, जोकि वाकिफ की इच्छा व वक्फ बोर्ड के आदेशों के विपरीत प्रतीत होता है।

अतः संयुक्त जाँच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।


संलग्नक - यथोपरि


उप जिला मजिस्ट्रेट सदर,

रामपुर


सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त

रामपुर


सहायक अभियन्ता,

रामपुर विकास प्राधिकरण,

रामपुर

शिया सेंट्रल बोर्ड आफ वाकफ्स, उ० प्र०

इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

Shia Central Board of Waqfs, U.P.

317, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow

Ph : 522-2286497, 3209108

شيعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

اندر ایجن، اشوک مارگ، لکھنؤ

فون نمبر : 522-2286497, 3209108

Ref No. 496

इसक,

सै० गुलाम सव्दैन रिजवी,
प्रशासनिक अधिकारी।

देवा में,

✓ डॉ० बलकार सिंह,
अपर सर्वे कमिश्नर वकफ/जिलाधिकारी,
लखनऊ-रामपुर।

2. रमेश चन्द्र शुक्ला,
डिप्टी कलेक्टर/सचिव,
रामपुर विकास प्राधिकरण,
रामपुर।

विषय: संख्या-टी-1546 वकफ हुसैनी सराय, रामपुर पर दुकानों के निर्माण की दी गयी अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक-1064ए०/वकफ-शिया/2011-12 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011के सम्बन्ध में है। आपको अगतत करना है कि बोर्ड द्वारा वकफ हुसैनी सराय की सम्बन्धित पर 68 व 30 दुकानों के निर्माण हेतु मुतवल्ली के अनुरोध पर एक दिन में तर्कित रेट से किरायेदारी किये जाने का निर्देश तथा अन्य शर्तों पर आधारित अनुमति प्रदान की गयी है, जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं।

1. यह कि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार ही दुकानों का निर्माण किया जाएगा।
2. यह कि दुकानों के निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अनुसार ही निर्माण कराया जाएगा।
3. यह कि निर्माण में किसी प्रकार की कमी होने के कारण निर्माण को अगर कोई क्षति पहुंचती है तो उक्त क्षति से कोई अन्य नुकसान व कोई अप्रिय घटना घटित होती है या किसी का जानी व माली नुकसान व कोई व्यक्ति घोटिल होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रबन्ध कर्माटी की होगी, जिसकी अनुमति प्रदान की जा रही है ऐसी दशा में बोर्ड नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।
4. यह कि निर्माण के बाद उक्त 58 व 30 दुकानों की किरायेदारी तिम्नके निर्माण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की जा रही है, की किरायेदारी नियमानुसार तर्कित रेट से की जायेगी।
5. यह कि वकफ की दुकानों की किरायेदारी गैर शरई व गैर कानूनी कार्य किया जाना प्रतिबन्ध है, जिसके लिए दुकान की किरायेदारी करवाई नहीं की जा सकेगी।

Dated: 07-02-2012
68/050/2012
City Magistrate/

DMWO/

SN
Rmb
8/2/12

शिया सेन्दल बोर्ड आफ वकफस, उ० प्र०

13, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

Shia Central Board of Waqfs, U.P.

817, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow

Ph. : 0522-2286497, 3209108

18
شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش

۸۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ

فون نمبر : ۰۵۲۲-۲۲۸۶۴۹۷، ۳۲۰۹۱۰۸

Ref. No. _____

Dated : _____

(2)

6. यह कि कुल 98 दुकानों के निर्माण के पश्चात् वकफों के अनुसार मुसाफिरखाना (हुसैनी सर्राए) बनाये जाने हेतु किये गये अनुरोध के अनुसार दुकानों की छत पर मुसाफिरखाने का मानचित्र व आंकरण बोर्ड के समक्ष राख अतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

वकफ सम्पत्ति पर 68 व 30 दुकानों के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति कर अनुमति दी गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-379/वकफ-94-338/94 मुस्लिम वकफ विभाग, लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 1994 के आदेश की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि मुस्लिम वकफ अनुभाग के शासनादेश संख्या-379/वकफ-294/94 दिनांक 04 फरवरी, 1994 के माध्यम से उक्त विषयक आदेश द्वारा वकफ सम्पत्तियों पर व्यवसायिक केन्द्र आदि बनाये जाने की अनुमति यदि सुन्नी अथवा शिया सेन्दल वकफ बोर्ड द्वारा स्वीकृति कर ली गयी है, तो ऐसे व्यवसायिक केन्द्रों आदि के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होगा। पत्र के साथ शासनादेश संख्या-579/वकफ-94-338/94 संलग्न है।

आप द्वारा अपने पत्र संख्या-1064ए०/वकफ-शिया/2011-12 दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को बिन्दु नम्बर-4 में कहा है कि हुसैनी सर्राए पर मुसाफिरखाना के निर्माण हेतु रामपुर के नवाब स्व० श्री रजा अली खां द्वारा सन् 1942 में शत्रिघों से उठरने हेतु सर्राए के निर्माण के लिए भूमि वकफ की गयी थी जोकि सत्य है। बोर्ड द्वारा दिनांक 17.8.2009 को मुतवल्ली के अनुरोध पर पांच बिन्दुओं पर आधारित सशर्त अनुमति 68 व 30 दुकानों की अनुमति दी गयी थी। वकफ के मुतवल्ली द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 13.8.2009 के अन्तर्गत बोर्ड से अनुरोध किया था कि वकफ हुसैनी सर्राए की भूमि पर 68 व 30 दुकानों का निर्माण कराये जाने व निर्माण के बाद उक्त निर्माण के माध्यम से प्राप्त हुई आय से दुकानों के ऊपर हुसैनी सर्राए का निर्माण कराया जायेगा तथा उक्त दुकानों से होने वाली वार्षिक आय से हुसैनी सर्राए का रख-रखाव व प्रबन्ध किया जायेगा। हुसैनी सर्राए का मानचित्र/प्रस्ताव व दुकानों के निर्माण पूरा होने व उससे आय शुरू होने के पश्चात् बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे मुतवल्ली वकफ का पत्र दिनांक 13.8.2009 पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भारतीय

(शै०) गुलाम सय्यद रिजवी
प्रशासनिक अधिकारी।

प्रेषक,

अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ / जिलाधिकारी,
रामपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
शिया सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ उ०प्र०,
817, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।


पत्रांक: 12 / वक्फ न० 1-1546 / हु०स०-जांच / 12 दिनांक-अप्रैल 9, 2012

विषय:- वक्फ नम्बर 1-1546 हुसैनी सराय की जांच आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने सन्दर्भ कैम्प / रामपुर / 1 पत्रांक मैमो दिनांक 01.04.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संबंध में अपर जिलाधिकारी की वांछित जांच आख्या मूल रूप में संलग्न करके उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोपरि।


(अनिल ढींगरा)
अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ /
जिलाधिकारी, रामपुर।